

18/6/2015

पत्रावली आज राजस्व लोक केंद्रालत
मिटर सेवा केंद्र गुणापर कचरवला
पर पुस्तक डुपी वादी शिमाडियन
व पेटोकर सरकार नामक वहीलक्ष्म
उनिपारा डियान्धिल/ नामक वहीलक्ष्म
पेटोकर राज से जवाब दाना लिपि
गणा/ पत्रावली का नवलोकन किपि
गणा/ नकल पत्रावली आवत 2066-
2069 वरुने गुणा कचरवला मे
वाडगुस्त मरराजी रकत 335,340,
346 कुल फिला 3 कुल रकवा
0-52 ¹ डमर लोडकी केवा रामनाथ
जुपिरे वरवा रात 56 ववातेदारी

उप खण्ड अधिकारी
उनिपारा जिला टोक

मे दर्ज है। सरपंच का पंचायत कार्यपालिका
कार्यपालिका ने भी लिखित में सूचना कराया
है कि रामकिशन के उसकी माता लोडकी
के द्वारा स्वयं गवर्दान गौड लिया था,
लोडकी का देहावसान हो गया है। लोडकी
की भूमि पर यह कार्य है।

पुलिस के द्वारा शशांक
व फोटो पहचान पत्र की छापा परि
पुस्तक की है, जिसमें रामकिशन के
पिता के नाम में रामनाथ दर्ज है।
नाथन वहाबदार फेरोगार राज
ने भी अपने जवाब में लिखित किया है
कि अपने अम में जानकारी करने पर
यह था कि रामकिशन पुत्र रामनाथ
के साथ के सीकर लोडकी ने लिखित करल
ने ही खुलासी पुत्र मातने हुए लोड
पुत्र के अधिकार दे दिये थे।

इसमें विवेकानंद
राजस्थान लोक प्रशासन की मजरा
की मध्य तहल रखने हुए

बाद जारी दिने किया जाना
 उचित है अतः बाद बट्टे
 जारी निरह प्राप्ति जारी का दिने
 किया जाता है जारी का प्रयोजी

रकम	335	340	346	कुल
	0-05	0-18	0-29	

किता 3 कुल रकम 0-52 हेक्टर
 वाले गुण कयखावला तहसील

उनिपास का खेतों का इलाका
 घोषित किया जाता है तहसील

उनिपास को इली अनुरूप राजस्व
 रिकार्ड को सुरक्षित करने के

आदेश दिने जाने है पंचादिने
 जारी है क्विचमेन रजिस्ट्रेशन

पहन हो पत्रावली केवल गुण

द्वारा तमक के रक है तथा
 अपर दाखिल हो

उप खण्ड अधिकारी
 उनिपास जिला टोंक

प्रपत्र -5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कचरावता

उनवान

रामकिशन पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक

- वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0

2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक


- प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा , दुरुस्ती इन्द्राज

मुकदमा नम्बर :- 140 वर्ष 2014

वादी की ओर से श्री रामकिशन प्रतिवादी की ओर से परोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.6.2015 को श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी को आराजी ख0न0 335 रकबा 0.05, 340 रकबा 0.18, 346 रकबा 0.29 कुल कित्ती 3 कुल रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम कचरावता तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 06 सन् 2015 को जारी की गई।


उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक